बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। अधिसूचना ।।

दिनांक– 10.8.2016

संख्या–05 / सह०फ०बी०–11 / 2016–2885 / भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्रांक–13015 / 03 / 2016–Credit-II, दिनांक–23.02.2016 द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रचारित दिशा–निदेश तथा सहकारिता विभाग के संकल्प सं०–2025, दिनांक–26.05.2016 द्वारा योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक–10.08.2016 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार राज्य में खरीफ 2016 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है:–

(क) बीमा हेतु अगहनी धान एवं भदई मकई फसल को अधिसूचित किया जाता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा खरीफ–2016 मौसम के लिए अधिसूचित फसलों की सूची के अनुसार अगहनी धान का फसल बीमा राज्य के 38 जिलों के 527 अंचलों में एवं भदई मकई का फसल बीमा राज्य के 28 जिलों में किया जायेगा।

(ख) खरीफ–2016 मौसम के लिए बिहार राज्य के जिलों को 6 कलस्टरों में बाँटा गया था। प्रत्येक कलस्टर के लिए फसलवार भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत 13 बीमा कंपनियों से निविदा मांगी गयी। निविदा प्रक्रिया में 6 बीमा कंपनियों द्वारा भाग लिया गया। कलस्टरवार न्यूनतम Weighted Average प्रीमियम दर देने वाली कंपनी को निम्न प्रकार से राज्य के कलस्टरों अन्तर्गत सभी जिलों के बीमा कार्य हेतु अधिसूचित किया जाता है–

क्र० सं०	कलस्टर संख्या	जिला का नाम	धान फसल का प्रीमियम	मकई फसल का प्रीमियम	कार्यभारित बीमा कंपनी
1	1	अरवल	14.72%	-	चोला मंडलम्, जी०आई०सी०लि०।
2	1	कटिहार	18.90%	6.04%	
3	1	मधुबनी	17.02%	-	
4	1	सहरसा	12.36%	1.50%	
5	1	सीवान	26.14%	17.40%	
6	1	वैशाली	24.89%	13.96%	
7	2	औरंगाबाद	7%	-	ए०आई०सी०लि०।
8	2	गोपालगंज	14%	6%	
9	2	लक्खीसराय	12%	5%	
10	2	मधेपुरा	16%	6%	
11	2	सारण	7.50%	6%	
12	2	प० चम्पारण	21%	10%	
13	3	अररिया	17.15%	10.98%	एस०बी०आई०, जी०आई०सी०लि०।
14	3	बाँका	10.33%	11.45%	
15	3	बक्सर	11.15%	13.52%	
16	3	पूर्वी चम्पारण	29.00%	27.53%	
17	3	जमुई	25.45%	14.42%	
18	3	पूर्णियाँ	15.66%	11.23%	
19	3	शिवहर	28.69%	-	

10.8.16

20	4	भागलपुर	13.00%	12.00%	टाटा ए.आई.जी., जी.आई.सी.लि.।
21	4	जहानाबाद	7.00%	-	
22	4	मुंगेर	12.00%	10.00%	
23	4	मुजफ्फरपुर	23.00%	8.00%	
24	4	नवादा	13.00%	7.00%	
25	4	शेखपुरा	16.00%	-	
26	5	गया	6%	4.5%	ए.आई.सी.लि.।
27	5	किशनगंज	4%	-	
28	5	पटना	12%	5%	
29	5	रोहतास	5%	-	
30	5	समस्तीपुर	26.5%	13%	
31	5	सीतामढ़ी	25%	-	
32	6	बेगूसरासय	35.00%	15.00%	बजाज एलियांज, जी.आई.सी.लि.।
33	6	भभुआ	18.10%	-	
34	6	भोजपुर	9.60%	4.50%	
35	6	दरभंगा	11.90%	16.50%	
36	6	खगड़िया	35.00%	15.00%	
37	6	नालंदा	21.50%	20.50%	
38	6	सुपौल	5.00%	6.50%	

(ग) खरीफ 2016 मौसम के लिए जिलावार Scale of Finance & Indemnity Level अनुलग्नक–1 में संलग्न है।

(घ) **कार्यान्वयन एजेंसी** :– इस योजना में उपर्युक्त विवरणी में अंकित कार्यभारित बीमा कंपनियों को कलस्टर अन्तर्गत सभी जिलों के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

(ङ) **बीमा इकाई** :– इस योजना में मुख्य फसल (धान) के लिए बीमा इकाई ग्राम/ग्राम पंचायत तथा मकई फसल के लिए बीमा इकाई जिला है।

(च) **प्रीमियम एवं क्षतिपूर्ति** :– इस योजना में किसानों की प्रीमियम राशि धान एवं मकई दोनों फसलों के लिए 2% निर्धारित है। साथ ही किसानों के अंशदान के पश्चात् शेष प्रीमियम राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बराबर–बराबर बीमा कंपनी को भुगतेय होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार अनुमान्य यथाअपेक्षित क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित बीमित किसानों को दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण बीमा इकाईवार फसल कटनी प्रयोग के आधार पर किया जायेगा।

2. <u>शामिल किये जाने वाले कृषक</u> :– इस योजना में ऋणी, गैर ऋणी, काश्तकार एवं बटाईदार कृषक भाग ले सकते हैं।

(क) अनिवार्य आधार पर – वैसे सभी किसान जो अधिसूचित फसल उगा रहे हों और वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषी फसल ऋण खरीफ–2016 मौसम हेतु धान फसल के लिए दिनांक–01.04.2016 से दिनांक–15.08.2016 तक एवं मकई फसल के लिए दिनांक–01.04.2016 से दिनांक–10.08.2016 तक स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर – अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान, जो इस योजना में शामिल होने की ईच्छा रखते हैं।

(ग) बैंकों द्वारा बीमित किसानों का प्रीमियम एवं घोषणा पत्र संबंधित बीमा कंपनी को जमा करने का समय दिनांक 31.08.2016 निर्धारित है।

10.8.16

3. **जोखिम आच्छादन** :– (क) Prevented sowing/Planting Risk - यदि बीमित क्षेत्रफल में विपरीत मौसम के कारण 75% से अधिक क्षेत्र में बुआई संभव नहीं हो तो बीमित राशि के 25% की अधिसीमा तक क्षतिपूर्ति भुगतान अनुमान्य होगा एवं पॉलिसी समाप्त मानी जायगी।

(ख) खड़ी फसल हेतु :– इस योजना में खड़ी फसल हेतु बुआई से कटनी तक जोखिम आच्छादित रहेगा। इसके अंतर्गत Drought, Dry Spells, Flood, Inundation, Pests and Diseases, Landslides, Natural Fire and Lightening, Storm, Hailstrom, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane and Tornado इत्यादि से फसल क्षति होने पर विस्तृत जोखिम बीमा का प्रावधान है।

(ग) Post-Hasrvest Losses – इसके साथ–साथ फसल कटनी के पश्चात खेत में सूखने हेतु रखी फसल के लिए कटनी से 14 दिनों तक जोखिम आच्छादन का प्रावधान है।

(घ) Localized Calamities – इसके अंतर्गत स्थानीय ओलावृष्टि landslide एवं inundation के कारण बीमित क्षेत्र के 25% से अधिक क्षेत्र में क्षति होने की स्थिति में भी क्षतिपूर्ति अनुमान्य होगा।

इसके अतिरिक्त यदि वास्तविक उपज थ्रेसहोल्ड उपज के 50% से कम होने की संभावना निश्चित हो तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत करते हुए बीमित किसानों को तत्काल 25% तक की अधिसीमा में क्षतिपूर्ति अनुमान्य हो सकता है जो फसल कटनी प्रयोग पर आधारित अंतिम अनुमान्य क्षतिपूर्ति के विरूद्ध समायोजन योग्य होगा एवं इसका आंकलन एवं निर्णय Proxy Indicator के आधार पर किया जायेगा।

4. **थ्रेशहोल्ड उपज आँकड़ों की गणना** :– योजनानुसार मार्गदर्शिका के पैरा–VI (7) में उल्लेखित फसलवार, इकाईवार पिछले 7 (सात) वर्षों के वास्तविक उपज आँकड़े के औसत (घोषित एवं अधिसूचित किये गये 2 (दो) आपदा वर्षों के वास्तविक उपज आँकड़ों को छोड़कर) एवं निर्धारित क्षतिपूर्ति स्तर के गुणनफल के आधार पर निर्धारित की जाती है।

5. **सांख्यिकी आँकड़ों का संकलन** :– योजना के अनुसार अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार/फसलवार/ग्राम पंचायतवार, प्रखंडस्तरीय, जिलास्तरीय, राज्यस्तरीय, वास्तविक उत्पादन आँकड़ें एवं पृथक प्लॉटवार वास्तविक उत्पादन आँकड़ें फसल कटनी प्रयोगों के आधार पर संबंधित बीमा कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालय को सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से दिनांक–31.01.2017 तक उपलब्ध करायेंगे, जिसके आधार पर क्षति का आकलन किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति बीमित किसानों को दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत फसलवार क्षतिपूर्ति का आकलन क्षेत्रीय आधार पर होगा।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा फसलवार वास्तविक उत्पादन आँकड़ों के प्रत्येक पन्नों पर निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर अनिवार्य एवं एकल श्रृखंला का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय संबंधित बीमा कंपनी को उन्हीं आँकड़ों को प्रेषित करेंगे जो कि भारत सरकार को प्रेषित किये गये है तथा ये आँकड़े एकल श्रृखंला प्रयोग पर आधारित होंगे। साथ ही अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय फसल कटनी प्रयोगों के लेखा संधारण को उचित जाँच एवं संतुलन के साथ सुदृढ़ करेगा। साथ ही योजना के दिशा–निर्देश के अनुरूप फसल कटनी प्रयोगों की फोटोग्राफी तथा उसका अपलोडिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

चन्द्रकान्त

10.5.16

फसल कटनी प्रयोगों को प्रति इकाई क्षेत्र/प्रति फसल के अनुसार निम्न परिकालन मानदंड पर किया जाना है।

क्र.सं.	बीमा के इकाई का आधार	न्यूनतन फसल कटनी प्रयोग
1	जिला	24
2	प्रखंड/तालुका/तहसील	16
3	मंडल/फिरका/राजस्व अंचल/होबली तथा उनके समतुल्य अन्य इकाई	10
4	ग्राम/ग्राम पंचायत	4

राज्य में खरीफ 2016 में मुख्य फसल अगहनी धान के लिए बीमा ईकाई ग्राम पंचायत एवं भदई मकई के लिए बीमा इकाई जिला अधिसूचित है। ऐसी स्थिति में मुख्य फसल धान के लिए ग्राम पंचायत एवं मकई फसल के लिए जिला स्तर हेतु निर्धारित फसल कटनी प्रयोग किए जाएगें।

6. (क) वित्तीय संस्थाएँ समस्त ऋणी तथा गैर–ऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें – कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, प्रखंड, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमांत/अन्य महिला/पुरूष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं किसान द्वारा दिये गये प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कंपनी को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेंगी तथा कृषकवार विवरण फारमर पोर्टल पर बीमा लेने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड (UPLOAD) करेंगी। साथ ही साथ राज्य सरकार एवं कार्यान्वयक अभिकरण सभी जरूरी जानकारियों एवं आँकड़ों को Web Portal- http://agri-insurance.gov.in में Upload करेगी। सहकारी बैंकों के द्वारा Web Portal- http://agri-insurance.gov.in में आँकड़ों के Upload करने की जिम्मेवारी संबंधित बैंकों की होगी। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के खर्चों का वहन उपलब्ध कराये गये बैंक सेवा शुल्क की राशि से किया जाएगा।

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की विवरणी :– योजनानुसार किसानों की विवरणी निम्न प्रपत्र में दोनों रूपों में –सत्यापित हार्ड कॉपी एंव उसकी सॉफ्ट कॉपी बैंकों (व्यवसायिक, ग्रामीण एवं सहकारी) द्वारा संबंधित बीमा कंपनियों को उपलब्ध करायेंगे ताकि विभाग को ये आँकड़े ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

पी.एम.एफ.बी.वाई.

प्रपत्र

राज्य..... जिला..... मौसम ..... वर्ष .....बैंक.....शाखा.....

किसान का नाम	पिता का नाम	प्रखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम	लिंग	किसानों की श्रेणी (छोटे सीमांत/अन्य)	समुदाय (ST/SC/ सामान्य)	किसान की श्रेणी (ऋणी या गैर ऋणी)	बीमित फसल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अधिसूचित क्षेत्रवार उप योग									
कुल योग									

बीमित क्षेत्र (हे॰)	बीमित राशि (रू॰)	प्रीमियम एकत्र (रू॰)	प्रीमियम प्रेषित (रू॰)	बैंक खाता संख्या	बैंक घोषणा/संदर्भ संख्या जिसके अंतर्गत प्रीमियम जमा की गई।	मोबाईल नंबर
11	12	13	14	15	16	17

- अधिसूचित स्तर :– प्रखंड/ग्राम पचायत स्तर पर उपयोग के साथ सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
- बैंक द्वारा इस फॉर्म में दी गई सूचना का हर पहलु किसी भी माध्यम से अर्थात् ऑफलाईन /ऑनलाईन में प्रस्तुत जानकारी के साथ आवश्यक रूप से समान/एकरूपता होनी चाहिए।
- बैंक द्वारा घोषणा पत्रवार जमा प्रीमियम "संग्रहित कुल प्रीमियम" कॉलम के लिए आवश्यक रूप से समान एवं एकरूपता होनी चाहिए।

7. **<u>योजना के अनुसार संयुक्त समिति का गठन</u>** :– योजनानुसार फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान होने की स्थिति में क्षति के निर्धारण के आकलन हेतु संयुक्त समिति गठन किया जाता है ताकि किसानों को उचित एवं ससमय क्षतिपूर्ति दी जा सके।

   (क) फसल अवधि में हुए नुकसान के आंकलन के लिए संयुक्त समिति– राज्य सरकार के जिलावार नामित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला राजस्व पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं कार्यान्वयक अभिकरण (IA)।

   (ख) फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान के आँकलन के लिए संयुक्त समिति–प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कार्यान्वयक अभिकरण (IA) एवं संबंधित कृषक।

   (ग) स्थानीय आपदाओं में व्यक्तिगत क्षति के आँकलन के लिए संयुक्त समिति –जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला राजस्व पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यान्वयक अभिकरण (IA) एवं संबंधित कृषक।

8. **<u>प्रॉक्सी संकेतों एवं स्वचालित मौसम केन्द्रों को चिन्हित एवं नामित करने हेतु</u>** :– योजनानुसार Mid Season Adversity एवं Sowing Failure के परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति के आँकलन के लिए प्रॉक्सी संकेतों एवं अन्य आँकड़ों जैसे–वर्षापात, तापमान, आर्द्रता, सेटेलाईट इमेज एवं दूसरी

चन्द्रकान्त

10.8.16

मौसम आँकड़ों भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अनिशाबाद, पटना, राज्य स्पेश ऐपलिकेशन सेन्टर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

अगहनी धान फसल की इकाई ग्राम पंचायत एवं भदई मकई फसल की इकाई जिला निर्धारित है अतएव चिन्हित मौसम केन्द्रों की टैगिंग ग्राम पंचायतवार एवं जिलावार की जाएगी।

9. योजनानुसार किसी भी अधूरे प्रस्ताव पत्र/घोषणा पत्र या त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव पत्र/घोषणा पत्र को निरस्त करने हेतु बीमा कंपनी स्वतंत्र होगी।

10. <u>उत्पादकता के आँकड़ों एवं आच्छादित रकबा का प्रेषण</u> :– योजना के तहत अधिसूचित फसलों का इकाईवार–पंचायतवार, प्रखंडवार, जिलावार वास्तविक उपज आँकड़ें 31 जनवरी, 2017 तक योजना के मार्गदर्शिका के पैरा संख्या–XI के अनुसार क्रियान्वयक अभिकरण को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

Crop Calender के अनुसार राज्य में अधिसूचित फसलों के बुवाई अवधि के 2 महीनों के अंदर फसलवार इकाईवार बुवाई क्षेत्र उपलब्ध कराये जायेगें ताकि भविष्य में होने वाले आच्छादित रकबे में उत्पन्न हो सकने वाले अनियमितताओं को समाप्त किया जा सके। साथ ही सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जरूरी कदम उठाये जाएगें ताकि एक ही भूमि पर बीमा आवरण को दोहरायी नहीं जा सके।

योजनानुसार बुवाई क्षेत्र में होनेवाली अनियमितताओं को कम करने हेतु निम्न बातों का अनुपालन आवश्यक है :–

(क) वर्त्तमान बुवाई क्षेत्र की तुलना फसलवार एवं इकाईवार पिछले तीन वर्षों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये बुवाई क्षेत्र के औसत से तुलना कर बुवाई क्षेत्र से अधिक बीमा आवरण के रूप में माना जाएगा एवं उसी अनुपात मे बीमित राशि की न्यूनता की जाएगी एवं क्षतिपूर्ति की गणना की जाएगी।

(ख) यदि राज्य में प्लॉट/सर्वे संख्या के Digital आँकड़े तथा GIS Plateform पर उपलब्ध हो तो Satellite छायाकरण के माध्यम से व्यक्तिगत प्लॉट की बुवाई क्षेत्र संबंधी आँकड़े लिए जाएंगे।

11. विभागीय संकल्प संख्या 2025, दिनांक 26.05.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण अनुश्रवण योजना के दिशा निदेश में अंकित प्रावधानों के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी जो उक्त जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति के सदस्य सचिव हैं, के द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देशन में योजना के दिशा निर्देश के अनुरुप यथाअपेक्षित सभी कार्रवाईयाँ ससमय क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

12. भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा योजना के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में इस योजना अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले समस्त कृषकों

को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जाएगा। अतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त दिशा – निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13. राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किया जा सकेगा।

14. योजना का प्रचार–प्रसार एवं किसान जागरूकता अभियान संबंधित बीमा कंपनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा।

15. अधिसूचना में अवर्णित टर्म्स और कंडिशन्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भारत सरकार द्वारा प्रचारित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10.8.16

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 2885 /पटना, दिनांकः– 10.8.2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव (ई–गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की सी॰डी॰ एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

10.8.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 2885 /पटना, दिनांकः– 10.8.2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰/अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्रभारी पदाधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि॰, पटना/ निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना/ क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना/प्रबंधक, चोला मंडलम्, जी॰आई॰सी॰लि॰, पटना/प्रबंधक, बजाज एलियांज, जी॰आई॰सी॰लि॰, पटना/प्रबंधक, एस॰बी॰आई॰, जी॰आई॰सी॰लि॰, पटना/प्रबंधक, टाटा ए॰आई॰जी॰, जी॰ आई॰सी॰लि॰, पटना /क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पटना एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, टेक्नोलॉजी भवन, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.8.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 2885 /पटना, दिनांकः– 10.8.2016

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सांस्थिक एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली एवं कार्यवाहक सहायक को 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

10.8.16

सरकार के प्रधान सचिव।

Sl. No.	District	Scale of Finance ₹/Hectare		Indemnity Level	
		Maize	Paddy	Maize	Paddy
1	Ararea	51250	47500	70%	70%
2	Darbhanga	50632	45512	70 %	70%
3	East Cahmparan	30500	36500	70%	70%
4	Gopalganj	50263	47088	70%	70%
5	Katihar	55000	44000	70%	70%
6	Khagaria	66250	56250	70%	70%
7	Kishanganj	N.N.	47500	---	70%
8	Madhepura	51250	47500	70%	80%
9	Madhubani	N.N.	37752	---	70%
10	Muzaffarpur	60534	61492	70%	70%
11	Purnea	51250	47500	70%	70%
12	Saharsa	70625	43375	70%	80%
13	Samastipur	42000	44625	70%	70%
14	Saran	55000	66500	70%	80%
15	Sheohar	N.N.	46500	---	70%
16	Sitamarhi	N.N.	46500	---	70%
17	Siwan	35200	42350	70%	70%
18	Supaul	80500	50500	80%	80%
19	Vaishali	65750	68250	70%	70%
20	West Champaran	48750	53500	70%	70%
21	Arwal	N.N.	45430	---	80%
22	Aurangabad	N.N.	45000	---	70%
23	Banka	32250	45000	80%	80%
24	Begusarai	73750	62500	70%	70%
25	Bhabhua	N.N.	55000	---	80%
26	Bhagalpur	32250	45000	70%	70%
27	Bhojpur	48250	56000	70%	80%
28	Buxar	51500	40000	80%	80%
29	Gaya	36190	41300	70%	70%
30	Jamui	35000	47500	70%	70%
31	Jehanabad	N.N.	45430	---	80%
32	Lakhisarai	35000	47500	70%	70%
33	Munger	35000	47500	70%	70%
34	Nalanda	47500	55000	70%	70%
35	Nawada	55357	49912	80%	70%
36	Patna	37400	42200	70%	70%
37	Rohtas	N.N.	57700	---	80%
38	Sheikhpura	N.N.	47500	---	70%

* N.N. – Not Notified